(नमूना काबिले फरोक्त)

सम्मन बिनावर इनफिसाल मुकद्दमा

(आर्डर ३ कायदा १ व ५)

न्यायालय जिला

मुदद्मा वादी

प्रतिवादी

हरगाह ने आपके नाम एक नालिश बाबत

के दायर की है कि लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख माह सन् १९९ ई० बवक्त बजे दिन के आसालतन या मार्फत वकील के जो मुकद्दमे के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुताल्लिका मुकद्दमा का जबाव दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जबाव ऐसे सवालात का दे सके, हाजिर हो और जबाबदेही दावा कि करे और हरगाह वह तारीख जो आपके इजहारों के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकद्दम की तजवीज हुई है, बस आपको लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला गवाहों को जिनकी शहादत पर नाज तमाम दस्तावेजों को जिन पर आप अपनी जबाबदेही की ताईद में इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें। अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो, मुकद्दमा बगैर हाजिरी आपके मसमूह और फैसला होगा।

नाम अदालत—
नम्बर मुकद्दमा—
नाम फरीकैन—

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन् १९९ ई० जारी किया गया।

जज

इत्तिला

(१) अगर आपको यह आन्देशा हो कि आपके गवाह अपनी मर्जी से हाजिर न होगे तो वह अदालत हाजा से सम्मन वई मुराद जारी करा सकते हैं कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जाय और जिस दस्तावेज को किसी गवाह से पेश कराने का आप इस्तेहकाक रखते है वह उससे पेश कराई जाये, बशर्ते कि अपना खर्चा जरूरी अदालत में दाखिल करके इस अम्र की दरख्वास्त गुजरायें।

(२) अगर आप मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते हैं तो आपको लाजिम है कि रुपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करे ताकि कार्यवाही इजराय डिग्री की, जो आपकी जान या माल या दोनों पर हो, करना न पड़े।

(नमूना काबिले फरोक्त)

सम्मन बिनावर इफिसाल मुकद्दमा

(आर्डर ३ कायदा १ व ५)

न्यायालय जिला

मुकद्दमा वादी

प्रतिवादी

हरगाह ने आपके नाम एक नालिश बाबत

के दायर की है कि लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख माह सन् १९९ ई० बवक्त बजे दिन के असालतन या मार्फत वकील के जो मुकद्दमे के हालात से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और कुल उमूरात अहम मुताल्लिका मुकद्दमा का जबाव दे सके, या जिसके साथ कोई और शख्स हो कि जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके, हाजिर हो और जबाबदेही दावा कि करे और हरगाह वह तारीख जो आपके इजहारों के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कतई मुकद्दमे की तजवीज हुई है, बस आपको लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला गवाहों को जिनकी शहादत पर नाज तमाम दस्तावेजों को जिन पर आप अपनी जवाबदेही की ताईद में इस्तेमाल करना चाहते हो। पेश करे अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकद्दमा बगैर हाजिरी आपके मसमूह और फैसला होगा।

नाम अदालत—
नम्बर मुकद्दमा—
नाम फरीकैन—

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन् १९९ ई० जारी किया गया।

जज

इत्तिला

(१) अगर आपको यह आन्देशा हो कि आपके गवाह अपनी मर्जी से हाजिर ना होंगे तो वह अदालत हाजा से सम्मन वई मुराद जारी करा सकते हैं कि जो गवाह हाजिर न हो वह जबरन हाजिर कराया जाये और जिस दस्तावेज को किसी गवाह से पेश कराने का आप इस्तेहकाक रखते हैं वह उससे पेश कराई जायें, बशर्ते कि अपना खर्चा जरूरी अदालत में दाखिल करके इस अम्र की दरख्वास्त गुजरायें।

(२) अगर आप मुतालबा मुद्दई को तसलीम करते हैं तो आपको लाजिम है कि रूपया मय खर्चा नालिश अदालत में दाखिल करे ताकि कार्रवाई इजराय डिग्री की, जो आपकी जान या माल या दोनों पर हो, करना न पड़े।